

SUMMARY TRIAL SECTION 263 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of **JAI PRATAP CHIDAR JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS**

Harsud Khandwa (M.P.) Case No. S.4.m./55/ of 2022 Complaint of made on 17/10/22

Name and address of the complaint म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र किल्लोद विरुद्ध श्याम भराठा

Name parentage cast and address of accused

श्याम भराठा पिता लक्ष्मण उम्र 45 बितारी ग्राम गंभीर
थावा किल्लोद

The offence complained of and date of its alleged commission

तुम्हारे विरुद्ध यह अभियोग है कि दिनांक 10/10/22 को समय 18/00 बजे
थाना किल्लोद परिक्षेत्र में स्थान आरोपी के घर के आगे ग्राम गंभीर पर अपने
अधिपत्य में 20 लीटर भड्डा शराब शराब कीमत 2000/- रुपये अवैध रूप
से बिना लायसेंस के रखे पाये गये ।

तुम्हारा उक्त कृत्य धारा 34(1)(क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होकर इस
न्यायालय के संज्ञान में है । आप अपराध स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो ।


जय प्रताप चिडार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद

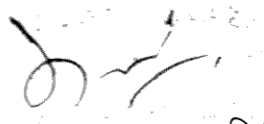
the plea of the accused and his examination are

आरोपी का अभिवाक:-

आरोपी को अपराध विवरण पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर उसका कहना है कि:-

अपराध स्वीकार

हरसूद / आरोपी //


जय प्रताप चिडार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद

The offence proved[if any and in case (d) clause (e) clause (f) clause of sub swction (1)
of section 260 the value of the property in respected of which the offebce has been committed

=निर्णय=

(आज दिनांक 17/10/2022 को घोषित किया गया)

- 01- अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर यह न्यायालय अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में दोषी पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराता है ।
- 02- अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए यह न्यायालय अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं अर्थदण्ड रुपये 1000/- अक्षरे तक ह्वाय रुपये से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास प्रथक से भुगताया जावे ।
- 03- प्रकरण में जप्तशुदा कच्ची महुआ शराब / देशी शराब / नष्ट की जावे । बीयर / अंग्रेजी शराब आबकारी विभाग को नियमानुसार वापस लौटाई जावें । जप्तशुदा वाहन पंजीकृत स्वामी को लौटाया जावे । अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया ।

जय प्रताप चिड़ार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद
जिला-खण्डवा(म.प्र.)

जय प्रताप चिड़ार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद
जिला-खण्डवा(म.प्र.)